

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/2563

जयपुर, दिनांक 28/6/23

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिती : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : General Election and Bye election to Lok Sabha and State Legislative Assemblies – Poll Day Management of Activities Outside Polling Stations-reg.

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 464/INST/2023/EPS (Poll Day Management Outside) दिनांक 14 जून, 2023

संदर्भ	Sl. No.	Letter No.	Dated
	1.	576/3/98-JS-II	03.02.1998
	2.	464/INST/2006/PLN-I	20.04.2006
	3.	464/INST/2007/PLN-I	12.01.2007
	4.	464/UP-LA/2007	25.10.2007
	5.	437/6/2007(INST)-PLN-III	12.11.2007
	6.	464/INST/2008/EPS	16.01.2009
	7.	464/INST/2008/EPS	21.01.2009
	8.	464/INST/2014/EPS	15.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संदर्भित पत्रों के माध्यम से मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के बाहर की तरफ विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। वर्तमान में आयोग ने संदर्भित दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर मौजूदा निर्देशों के अधिक्रमण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर संकलित दिशा-निर्देश जारी किए हैं :-

1. चुनाव बूथ :-

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आम/उपचुनावों की अवधि के दौरान, निर्दलीय उम्मीदवारों सहित विभिन्न दलों के उम्मीदवार मतदान के दिन चुनाव बूथ (अस्थायी कार्यालय) स्थापित और संचालित करते हैं। इस संबंध में सख्ती से अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- (i) मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कोई चुनाव बूथ स्थापित नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जहां एक ही जगह पर एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, वहां ऐसे परिसर से 200 मीटर की दूरी से परे मतदान केन्द्रों के समूह के लिए एक उम्मीदवार का केवल एक चुनाव बूथ होगा।
- (ii) मतदान केन्द्र परिसर की 200 मीटर की परिधि के बाहर मौसम की स्थिति से बचाने के लिए ऐसे प्रत्येक बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें एक छाता या 10X10 फीट से अधिक का छोटा तम्बू नहीं होगा।
- (iii) ऐसे बूथ स्थापित करने के इच्छुक प्रत्येक उम्मीदवार, रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित रूप से और अग्रिम रूप से, उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या के बारे में सूचित करेगा जहां उसके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने का प्रस्ताव है। वह ऐसे बूथों की स्थापना से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी प्राधिकारियों या निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, नगर क्षेत्र समितियों, पंचायत समितियों आदि जैसे स्थानीय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति भी प्राप्त करेगा। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर काम करने वाले व्यक्तियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि चुनाव/संबंधित पुलिस अधिकारियों की मांग पर इसे प्रस्तुत किया जा सके।
- (iv) ऐसे बूथों की स्थापना के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा:-
 - (a) सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करके ऐसा कोई भी बूथ नहीं खोला जाएगा।
 - (b) किसी भी धार्मिक स्थल या ऐसे धार्मिक स्थल के परिसर में इस तरह के बूथ नहीं खोले जाएंगे।
 - (c) ऐसा कोई भी बूथ किसी शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल के निकट नहीं खोला जाएगा।
 - (d) ऐसे बूथों पर पार्टी के प्रतीक/फोटो के साथ केवल एक ही पार्टी का झंडा और बैनर प्रदर्शित किया जा सकता है।
 - (e) ऐसे बूथों में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4 x 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि यदि स्थानीय कानून बैनर/होर्डिंग आदि के लिए कम आकार निर्धारित करते हैं, तो स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित आकार प्रतिबंध मान्य होगा।
 - (f) ऐसे बूथों की स्थापना और संचालित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में दर्ज किया जाना चाहिए।
- (v) ऐसे बूथों का उपयोग केवल निर्वाचकों को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इन अनौपचारिक पहचान पर्चियों को आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए, उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित किया जाएगा।
- (vi) किसी भी परिस्थिति में ऐसे बूथों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को बूथ पर आने की अनुमति दी जाएगी जिसने पहले ही

मतदान केन्द्र पर अपना वोट डाल दिया हो। यह उनकी बाईं तर्जनी या किसी अन्य अंगुली पर अमिट स्याही के निशान से स्पष्ट होगा, जैसा कि उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया है जिसमें मतदान केन्द्र स्थित है।

(vii) बूथों पर तैनात व्यक्ति मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक जाने के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे या उन्हें अन्य उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से नहीं रोकेंगे या मतदाताओं के अधिकार का प्रयोग करने में किसी अन्य प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। उनका मताधिकार उनकी अपनी इच्छा के अनुसार है। विशेष रूप से, कोई मतदाता चाहे वह विशेष बूथ पर आकर अनौपचारिक पहचान पर्ची ले ले या वह अपनी मर्जी से चुनाव लड़ रहे किसी भी पार्टी/उम्मीदवार के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान करने के लिए, किसी भी बूथ पर आता है, तो किसी भी मतदाता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ।

(viii) उपरोक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को आयोग द्वारा अत्यंत गंभीरता के साथ देखा जाएगा और कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ऐसे बूथों को हटाने तक ही सीमित नहीं है, ऐसे किसी भी उल्लंघन के लिए उम्मीदवारों और/या उनके एजेंटों/जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

(ix) मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(x) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव/पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के आस-पड़ोस से 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) जिस व्यक्ति को राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा ऐसे बूथ के लिए नामित किया गया है, वह उसी मतदान केन्द्र का मतदाता होगा। उसके पास एक EPIC भी होगा और जब भी कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक उस व्यक्ति से उसकी पहचान बताने के लिए कहेगा, तो उसे EPIC दिखाना होगा।

(xii) राजनीतिक दल/उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसे बूथों पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर न रखें।

2. मतदान केन्द्र के पास हथियारों का कब्जा :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 बी यह प्रावधान प्रदान करती हैं कि, उस धारा द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए लोगों को छोड़कर, कोई भी मतदान केन्द्रों या मतदान केन्द्रों के आस-पड़ोस में कोई हथियार नहीं ले जाएगा या हथियारों के प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा, ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की धमकी या खतरे की आशंका के बिना चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सकते हैं।

(ii) समय-समय पर यह देखा गया है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवार और/या उम्मीदवारों के समर्थक, जिन्हें अधिकारियों द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है, अपने

सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान केन्द्रों या मतदान केन्द्र के पड़ोस में प्रवेश करते हैं। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी में निर्धारित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(iii) किसी भी व्यक्ति को, भले ही किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्तकर्ता हो, ऐसे सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी भी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र पड़ोस में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

(iv) सुरक्षा बढ़ाने के प्रभारी सुरक्षा एजेंसियों को तदनुसार सुरक्षा योजनाओं को फिर से तैयार करना चाहिए। चुनाव के प्रभारी लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की उपरोक्त उद्धृत धारा 134 बी के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए और किसी भी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र के आस-पड़ोस में प्रवेश करते समय किसी भी व्यक्ति (यानी किसी भी उम्मीदवार, उसके एजेंट, कार्यकर्ता, समर्थक या यहां तक कि किसी भी निर्वाचक) के साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं लगाया जाए। किसी भी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्र के पड़ोस में प्रवेश करता है। SPG सुरक्षा प्राप्त या Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का केवल एक सुरक्षाकर्मी सादे कपड़ों में और हथियार छिपाकर मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकता है।

3. सुरक्षा व्यवस्था :-

(i) पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक अनुमोदित जिला तैनाती योजना के अनुसार स्थिर और मोबाइल ड्यूटी पर CAPF सहित पुलिस बलों को तैनात करेंगे। मतदान केन्द्र की सुरक्षा के लिए तैनात CAPF सहित सभी पुलिस बल मतदान दिवस से एक दिन पहले संबंधित मतदान केन्द्रों पर स्थिति संभालेंगे और नियंत्रण करेंगे।

(ii) यदि किसी कारण से CAPF निर्धारित मतदान केन्द्र पर नहीं पहुंचा है, तो उस मतदान केन्द्र पर मतदान शुरू नहीं होगा।

(iii) चुनावों में बल तैनाती पर मैनुअल (नवीनतम संस्करण) को बल तैनाती पर विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए संदर्भित किया जाएगा।

(iv) मतदान केन्द्र पर जहां जिला तैनाती योजना के अनुसार CAPF कर्मियों को तैनात किया गया है, मतदान केन्द्र के लिए तैनात CAPF के एक कर्मी को मतदान केन्द्र के दरवाजे पर स्थिर या दोलन मोड में रखा जाएगा, ताकि निरीक्षण किया जा सके। मतदान केन्द्र के अंदर की कार्यवाही के संबंध में आदेश (Janak Singh V/s Ram Das Rai & Other in CA 9228 of 2003:SC.)। इसके अलावा, CAPF के कंपनी कमांडर उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में क्षेत्र प्रभुत्व और विश्वास निर्माण उपायों के लिए भी आगे बढ़ेंगे।

(v) राज्य पुलिस मतदान केन्द्र परिसर के अंदर और बाहर (मतदान केन्द्रों से अलग) सामान्य कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगी।

(vi) राज्य पुलिस बल किसी भी परिस्थिति में, जिला तैनाती योजना के उल्लंघन में, मतदान केन्द्रों पर CAPFs को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। स्थानीय राज्य पुलिस का कोई भी अधिकारी, दल के साथ या उसके बिना, खुद को मतदान केन्द्र पर तैनात नहीं करेगा और मतदान केन्द्र पर CAPF पर कोई पर्यवेक्षण और नियंत्रण नहीं रखेगा।

(vii) Vulnerability mapping के अनुसार, संबंधित मतदान केन्द्र क्षेत्रों के अंतर्गत खतरों की दृष्टि से संवेदनशील बस्तियों में विश्वास बहाली के सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। स्थानीय राज्य पुलिस इस कार्य को अत्यधिक महत्व देगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि मतदान के दिन ऐसे क्षेत्रों के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई बाधा न हो।

इस संबंध में आयोग द्वारा जारी प्रासंगिक संकलित दिशा-निर्देश समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों को प्रेषित कर आगामी समस्त आम/उप चुनावों में अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/ 2563 जयपुर, दिनांक 28/6/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, प्रशिक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा-प्रथम ए, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(✓)
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA

TEL 011-23052144
Fax 011-23713412/23739944
Website: www.eci.gov.in

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली 110001-
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 464/INST/2023/EPS(Poll Day Management Outside)

Dated: 14th June, 2023

To

The Chief Electoral Offices of
All States & Union Territories.

Subject: General Election and Bye election to Lok Sabha and State Legislative Assemblies – Poll Day Management of activities outside Polling Station reg.

Reference:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| (i) 576/3/98-JS-II | dated 03.02.1998 |
| (ii) 464/INST/2006/PLN-I | dated 20.04.2006 |
| (iii) 464/INST/2007/PLN-I | dated 12.01.2007 |
| (iv) 464/UP-LA/2007 | dated 25.10.2007 |
| (v) 437/6/2007(INST)-PLN-III | dated 12.11.2007 |
| (vi) 464/INST/2008/EPS | dated 16.01.2009 |
| (vii) 464/INST/2008/EPS | dated 21.01.2009 |
| (viii) 464/INST./2014/EPS | dated 15.04.2014 |

Madam/Sir,

The Commission has been issuing instructions from time to time on management of activities outside Polling Stations on the day of poll, *vide* letters referred to above. Now, the Commission has reviewed these instructions and issued the following consolidated instructions in supersession of all the existing instructions on the subject:

I. Election Booths:

During the period of General / Bye-Elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies, the candidates of various parties including independent candidates set up and operate Election Booths (temporary offices) on poll day. In these regards, the following directions are issued for strict compliance:

- (i) No Election Booth shall be set up within a radius of 200 meters from the Polling Station. Even where more than one Polling Station has been set up in the same

Polling Station Location or premises, there shall be only one Election Booth of a candidate for such group of Polling Stations beyond a distance of 200 meters from such premises.

- (ii) Only one table and two chairs shall be provided at each of such Booths with an umbrella or a small tent measuring not more than 10 X10 ft to protect from weather conditions outside the 200 meters periphery of the polling station premises
- (iii) Each candidate wishing to set up such Booths shall intimate, in writing and in advance, to the Returning Officer, the names and serial numbers of the Polling Stations where such Booths are proposed to be set up by him. He shall also obtain the written permission of the concerned Government authorities or local authorities like Corporations, Municipalities, Zilla Parishads, Town Area Committees, Panchayat Samitis etc., as applicable, under the relevant local laws before setting up of such Booths. Such a written permission must be available with the persons manning the Booth so as to produce the same before the election/ police authorities concerned on demand.
- (iv) Following broad guideline with respect of setting up of such Booths shall be followed:
 - a. No such Booths will be opened by way of any encroachment either on public or private property.
 - b. No such Booths will be opened in any religious places or campus of such religious places.
 - c. No such Booths will be opened contiguous to any educational institutions or hospitals.
 - d. Such Booths can display only one party flag and banner with party symbols/photographs.
 - e. The size of the banner used in such Booths should not exceed 4 X 8 feet subject to the further condition that if the local laws prescribe a lower size for banner / hoarding etc., then the size restriction prescribed by local law shall prevail.
 - f. The expenditure on setting up of such Booths and activities conducted, as prescribed, should be booked to the candidate's election expenditure account
- (v) Such Booths shall be used only for the sole purpose of issuing unofficial identity slips to electors. These unofficial identity slips shall be printed strictly, in accordance with the instructions of the Commission, without the name or symbol of the candidate or the name of the political party.



- (vi) No crowds shall be allowed to collect at such Booths in any circumstances nor shall any person who has already cast his vote at the Polling Station be allowed to come to the Booth. This would be evident from the indelible ink mark on his left forefinger or any other finger as specifically prescribed for that election for the constituency in which the Polling Station is located.
- (vii) The persons manning the booths shall not cause any obstructions whatsoever in the way of electors proceeding to the Polling Stations or prevent them from going to the Booths of other candidates or create any other sort of hurdles whatsoever in the right of voters to exercise their franchise according to their own free will. More specifically, no elector shall be influenced in any way whatsoever to either come and collect the unofficial identity slip from the particular Booth or if he comes to such Booth of his own accord, to vote in favour of or against any party / candidate contesting the election.
- (viii) Any violation of the above directions will be viewed by the Commission with the utmost gravity and most stringent action possible under the law, including but not restricted to the removal of such Booths forthwith will be taken against the candidates and / or their agents / workers responsible for any such violations.
- (ix) No electioneering shall be allowed within the 200-meter area around the Polling Stations on the date of poll.
- (x) No person other than Observers appointed by the Commission and authorized election/police officials shall be allowed to either carry or use mobile phones, wireless sets, etc., in the 100-meter perimeter of the Polling Stations described as the "Polling Station Neighborhood" (*Section 130 Representation of the People Act 1951*) and within the Polling Station.
- (xi) The person who is nominated by the political parties/candidates to man such Booth shall be a voter in the same Polling Station. He shall also have an EPIC and whenever any Sector Magistrate/Observer ask the person to disclose his identity, he shall show the EPIC.
- (xii) The political parties/candidates shall ensure that they do not put any person with criminal antecedents on the job to man such booths.

II. Possession of Arms near the Polling Station:

- (i) The provisions of Section 134 B of the Representation of People Act, 1951 provides that, except those expressly permitted by that section, no one else carries any arms or indulges in show of arms in Polling Stations or Polling Station Neighborhood, so

that the conduct of elections can take place in a free and fair manner without any intimidation of voters, or threat perception to them.

- (ii) It is seen from time to time that during the poll process, candidates and/or supporters of candidates, who have been provided with security cover by the authorities, enter Polling Stations or Polling Station Neighborhood accompanied by their security personnel. This is in clear contravention of the provisions laid down in Section 134B of the Representation of the People Act 1951.
- (iii) No person, even if a recipient of any form of security from any quarter, should enter into any Polling Station or Polling Station Neighborhood, accompanied by such security personnel.
- (iv) The security agencies in charge of extending security must therefore, recast security plans accordingly. It would be the duty of those in charge of the election to ensure that the provisions of the above quoted Section 134B of the Representation of the People Act 1951 are strictly enforced and no security personnel attached to any person (i.e., any candidate, any of his agents, workers, supporters, or even any elector) enter into any Polling Station or Polling Station Neighborhood. Only one security personnel of SPG protectee or Z+ protectee can enter a Polling Station in plain clothes and arms kept in concealed manner.

III. Security Arrangements:

- (i) Commissioner of Police/ Superintendent of Police shall deploy police forces, including CAPF, as per approved District Deployment Plan on static and mobile duties. All police forces, including CAPF, deployed for polling station security shall take positions in and control of the respective Polling Stations on the day prior to the poll day.
- (ii) In case CAPF has not reached the assigned Polling Station, due to any reason, the poll shall not commence in that Polling Station.
- (iii) Manual on Force Deployment in Elections (*Latest Edition*) shall be referred to for detailed guidelines on force deployment.
- (iv) At the polling station where CAPF personnel are deployed according to District Deployment Plan, one personnel of the CAPF deployed for the Polling Station shall be placed at the door of the Polling Station, either in static or oscillating mode, in order to observe the proceedings inside the Polling Station (*Janak Singh V/s Ram Das Rai & Other in CA 9228 of 2003: SC*). Moreover, the Company Commanders of CAPF shall also move for area domination and confidence building measure in the



sectors assigned to them.

- (v) The State Police shall remain solely responsible for maintenance of the general law and order inside and outside of the Polling Station premises (as different from polling stations).
- (vi) State Police Force shall not replace the CAPFs at the Polling Stations, in contravention of District Deployment Plan, under any circumstances. No officer of the local state police, with or without contingent, shall position himself at the Polling Station and exercise any supervision and control over the CAPF at the Polling Station.
- (vii) According to the vulnerability mapping, hamlets/habitations within relevant Polling Station areas those are vulnerable to threat, all necessary confidence building measures shall be taken. The Local State Police shall attach utmost importance to this task and shall also ensure that there is no hinderance to voters of such pockets in exercising their franchise on the day of poll.

The above instructions shall be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,



14/06/2023

(SANJEEV KUMAR PRASAD)
SECRETARY